22

माननीय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक क्रोर्ट रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

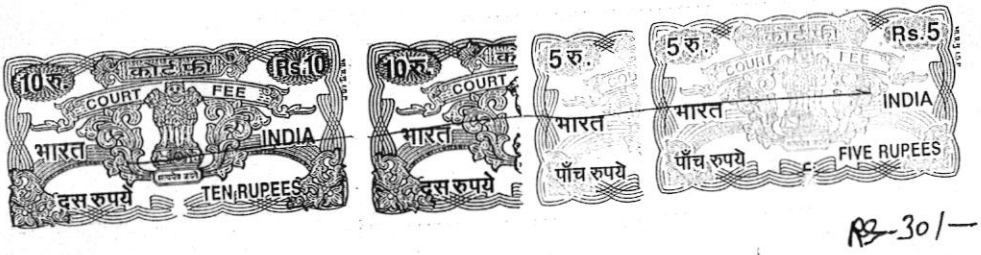

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10
10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत दस रुपये
5रु. भारत पाँच रुपये
5रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

Rs-30/-

R 5421-II/16

सूर्यबली प्रसाद तनय रामखेलावनराम ब्राम्हण उम्र–60 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम टेकर पोस्ट–मझौली, तहसील मझौली, जिला–सीधी (म0प्र0)

अधि० श्री हेमकुमार (अग्निहोत्री) द्वारा पेश। 23-9.16

---निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

महावीर तनय श्री अम्बिका प्रसाद ब्राम्हण उम्र–55 वर्ष, साकिन टेकर,पोस्ट–मझौली, तहसील मझौली, जिला–सीधी (म0प्र0) --------गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला–सीधी प्रकरण क्रमांक 182/निगरानी/2011–12 आदेश दिनांक 10.09.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

क– यह कि ग्राम देवरी, तहसील मझौली, जिला–सीधी स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 208 रकवा 0.202 हे0 पहाड़ी क़िस्म की भूमि है, जिसमें आम जनता का निकार निस्तार होता है, उक्त भूमि के आसपास हरिजन आदिवासियों की बस्ती है। गैरनिगरानीकर्ता ने षड़यंत्र पूर्वक धन के बल पर नायब तहसीलदार मझौली को प्रभावित कर उक्त भूमि का व्यवस्थापन पट्टा प्रकरण क्रमांक 48/अ–19/1991–92 में पारित आदेश दिनांक 26.11.1991 के द्वारा अपने नाम चोरी छिपे करा लिया जिसकी जानकारी तत्समय निगरानीकर्ता को नहीं हो पाई क्योंकि गैरनिगरानीकर्ता उक्त आदेश कराकर कई वर्षो तक चुपचाप रहा आया।

सूर्यबली प्र० तिवारी

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/5421/दो/16 जिला-सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री हेमकुमार अग्निहोत्री उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला-सीधी प्रकरण क्रमांक 182/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10-09-15 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी के साथ धारा 5 का आवेदन में शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा बताया गया है कि अधिवक्ता द्वारा उक्त आदेश की जानकारी तत्समय नहीं दी दिनांक 29-07-16 को आवेदक जिला सीधी जाकर अधिवक्ता से संपर्क किया तो बताया कि निगरानी निरस्त हो गयी है। दिनांक 20-09-16 को जिला सीधी जाकर नकल ली उसके बाद 10-09-16 को निगरानी प्रस्तुत की। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचारोंपरांत यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो तथ्य धारा 5 में आवेदक	

द्वारा बतायें गयें हैं वह समाधानकारक नहीं होने के कारण निगरानी अवधि वाह्य होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर कलेक्टर जिला-सीधी प्रकरण क्रमांक 182/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10-09-15 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य